सं. एन- 38032/35/2024-एफएम

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(एफएम सेल)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 2 जून, 2026

<u>एडवाईजरी</u>

जबकि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों के साथ, देश के विभिन्न शहरों में चरण-III के अंतर्गत एफएम रेडियो प्रसारण चैनल की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन करने के लिए विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर अनुमति मंजूरी करार (जीओपीए)/माइग्रेशन अनुमति मंजूरी करार (एमजीओपीए) शीर्षक से करार किया है।

2. जबकि, जीओपीए एवं एमजीओपीए के क्रमशः खंड 18.1 एवं 17.1 में यह उपबंधित है कि–

"कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर–

(क) अनुमति धारक द्वारा प्रसारित सामग्री की रिकॉर्डिंग को प्रसारण की तिथि से तीन माह की अवधि तक सुरक्षित रखेगी यथा आवश्यकतानुसार उसे अनुदाता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत करेगी; और

(ख) सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अथवा उसके पर्यवेक्षणाधीन प्रसारण सामग्री की सतत निगरानी हेतु अपेक्षित आवश्यक उपकरण, सेवाएं एवं सुविधाएं नामित स्थान/स्थानों पर उपलब्ध कराएगी तथा ऐसी सतत निगरानी के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करेगी।

(ग) प्रसारण के निर्धारित तकनीकी मापदंडों के सतत मापन, रिकॉर्डिंग एवं निगरानी हेतु अपेक्षित आवश्यक उपकरण, सेवाएं एवं सुविधाएं नामित स्थान/स्थानों पर यथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएगी तथा प्रसारण सेवा की सतत निगरानी के लिए बेसिल को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करेगी। निगरानी शुल्क की दरें समय-समय पर बेसिल द्वारा निर्धारित की जाएंगी।"

3. उपर्युक्त खंड के अनुसार, जीओपीए एवं एमजीओपीए के क्रमशः खंड 13 एवं 12 में निहित प्रसारण सामग्री तथा तकनीकी मापदंडों की निगरानी हेतु बेसिल प्राधिकृत प्रतिनिधि है। सभी अनुमति धारकों को बेसिल के माध्यम से प्रसारण सेवा की ऐसी सतत निगरानी हेतु आवश्यक उपकरण, सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी तथा सभी तकनीकी मापदंडो एवं मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा।

4. इसके अलावा, इस मंत्रालय की दिनांक 19.12.2025 की एडवाईजरी (प्रति संलग्न) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सभी प्रसारकों को स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करने, वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) का समयबद्ध नवीनीकरण सुनिश्चित करने तथा नवीनीकृत डब्ल्यूओएल की एक प्रति स्टेशन पर रखने की सलाह दी गई थी।

5. सभी एफएम रेडियो प्रचालकों को सलाह दी जाती है कि वे मौजूदा प्राइवेट एफएम रेडियो चरण-III नीतिगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(गजेंद्र शर्मा)
उप निदेशक
दूरभाष: 011-23386762

सभी एफएम रेडियो चैनल
प्रतिलिपिः एआरओआई

सं. एन- 38032/35/2024-एफएम

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(एफएम सेल)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 19 दिसंबर, 2025

एडवाईजरी

जबकि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों के साथ, देश के विभिन्न शहरों में एफएम रेडियो प्रसारण चैनल की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन हेतु, विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर **अनुमति मंजूरी करार (जीओपीए)/माइग्रेशन अनुमति मंजूरी करार (एमजीओपीए)** शीर्षक से करार किया है।

2. जबकि, जीओपीए तथा एमजीओपीए के क्रमशः खंड 17.1 एवं 16.1 में यह उपबंधित है कि:

"रेडियो आवृत्ति के उपयोग हेतु वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस प्रदान किए जाने के संबंध में, डब्ल्यूपीसी द्वारा निर्धारित स्पेक्ट्रम शुल्क (लाइसेंस शुल्क एवं रॉयल्टी), जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा।"

3. इसके अलावा, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदत्त वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की एक प्रति, लाइसेंस के प्रमाण के रूप में संबंधित स्टेशन पर रखी जानी आवश्यक है।

4. जबकि, यह नोट किया गया है कि कुछ मामलों में डब्ल्यूओएल या तो समाप्त हो चुका है अथवा पारेषण स्थल पर प्रदर्शित/उपलब्ध नहीं है।

5. जबकि, यह नोट किया गया है कि कुछ स्टेशनों पर प्राथमिक उपचार, वैध अग्निशमन उपकरण आदि जैसे सुरक्षा विनियमों संबंधी मानकों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।

6. अतः अब, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जीओपीए/एमजीओपीए के उपबंधों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा अनुमति धारकों को सलाह देता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि डब्ल्यूओएल का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा वैध डब्ल्यूओएल और एसएसीएफए की एक प्रति, लाइसेंस के प्रमाण के रूप में, स्टेशन पर रखी जाए।

7. इसके अलावा, सभी प्रसारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अग्नि एवं सुरक्षा विनियमों संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(वाई. त्रेहन)
अपर निदेशक
दूरभाष: 011-2338 0086

सभी एफएम रेडियो चैनल
प्रतिलिपिः महासचिव, एआरओआई